



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला: सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

Address - Khelbantha Ground, Near Water Tank, Sarangarh Pin Code 496445

E-mail- deosarangarhbilaigarh2022@gmail.com

1001

(C.G.)

क्र0/901/अशास.विद्या./ मान्यता नवीनी. /2026-27
प्रति,

सारंगढ़-बिलाईगढ़ दिनांक 15/04/26

4

प्राचार्य/संचालक
विनायक अकादमी इंग्लिश स्कूल मधाईभाठा
वि.ख. बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग.

विषय -

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के प्रयोजन के लिए नियम 11 के उप नियम(4) के अधीन विद्यालय संचालन हेतु मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र बाबत।

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके संस्था को कक्षा - नर्सरी से कक्षा - 12वीं (अंग्रेजी माध्यम CG BOARD) तक सत्र 2026-27 में विद्यालय संचालन हेतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के प्रयोजन के लिए नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन निम्नलिखित नियम व शर्तों के तहत अस्थायी रूप से मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें :-

1. प्रवेशित कक्षा के कक्षा 8वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नहीं, हानि नहीं (NO Loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जावेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्ययन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिए निम्नलिखित अद्योसंरचना होना अनिवार्य है :-

- विद्यालय का भवन - प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/प्रधान पाठक एवं स्टॉफ के लिए पृथक-पृथक कक्ष।
- स्टॉफ, छात्र, छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिए की फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र।
- बाधारहित पहुंचमार्ग।

• क्रीड़ा खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय/प्रयोगशाला की पृथक-पृथक उपलब्धता।

6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1000 (1000 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा स्थापित होगा।

Vinayak Academy English School
Madhaibhatha, Bilaigarh
Dist-Sarangarh-Bilaigarh(C.G.) 493559

Vinayak Academy English School
Madhaibhatha, Bilaigarh
Dist-Sarangarh-Bilaigarh(C.G.) 493559

7. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना आवश्यक होगा।
8. आपके विद्यालय का यू ड्राईस कोड - 222.M.I.D.I.14806... को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग. शासन एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय/संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गए हों।
10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
11. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नहीं करने की स्थिति में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.ख. शि.अधि. को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगे।
12. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समनय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए शाला का संचालन करना होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग.
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)
सारंगढ़-बिलाईगढ़ दिनांक 15/04/26

पृ0क्र0/७७१/अशास.विद्या./ मान्यता नवीनी. /2026-27
प्रतिलिपि - 17

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर जिला-रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर, अटलनगर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
5. जिला मिशन समन्वयक, जिला-रायगढ़/बलौदाबाजार भांठापारा को छ.ग. सूचनार्थ।
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
7. संकुल प्राचार्यको सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग. अ.य.कार
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)

Manager
Vinayak Academy English School
Madhaibhatha, Bilaiagarh
Dist-Sarangarh-Bilaiagarh(C.G.) 493559

PRINCIPAL
VINAYAK ACADEMY ENGLISH
SCHOOL MADHAIBHATHA
TEH-BILAIAGARH
DIST-BALODABAZAR-BHATAPARA(C.G.)